उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या : 1737 / II–2016–17(19) / 2015
देहरादूनः दिनांक, 08 जुलाई 2016

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस सम्बन्ध में शासन की अधिसूचना संख्या–2460 / II–2015 / 03(14) / 2010, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 का अधिक्रमण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से निगमित निकाय के रूप में उत्तराखण्ड जल संसाधन, प्रबन्धन और नियामक आयोग ज्ञात नाम से एक आयोग की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल यह निर्देश देते है कि उक्त आयोग उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 24 वर्ष, 2013) एवं "उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम 2012" (अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2013) के अधीन शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।